न्यायालय न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट, नागौर

बइजलास — मनोज कुमार, आर0ए0एस0

परिवाद संख्या — 22/2021

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कम अभिहित अधिकारी, नागौर		राजाराम शर्मा पुत्र भंवरलाल जाति ब्राह्मण निवासी म.नं. 164/क हनुमान चौक, जायल जिला नागौर। फर्म—मैसर्स महावीर किराणा स्टोर, पोस्ट ऑफिस के सामने, सदर बाजार, जायल।

आदेश दिनांक :25.03.2021

1. प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर द्वारा परिवाद प्रस्तुत किया गया कि दिनांक 28-10-2020 को मैसर्स महावीर किराणा स्टोर, पोस्ट ऑफिस के सामने, सदर बाजार जायल जिला नागौर पर खाद्य पदार्थ रिफा. सोयाबीन तेल (4 Tuner ब्राण्ड) में मिलावट का शक होने पर नमूना वास्ते जांच लिया जाकर सीरीयल कोड नं. क्यू 1377 अंकित किया गया। उक्त नमूने की जांच खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला अजमेर से करवायी गयी। जिनकी जांच रिपोर्ट क्रमांक एलएस 391/एक्ट/2020/177 दिनांक 31.10.2020 के द्वारा प्रार्थी द्वारा लिया गया नमूना रिफा. सोयाबीन तेल (4 Tuner ब्राण्ड) मिसब्राण्डेड होना पाया गया। उक्त जांच रिपोर्ट के अनुसार अभियुक्त राजाराम शर्मा पुत्र भंवरलाल जाति ब्राह्मण निवासी म.नं. 164/क हनुमान चौक, जायल जिला नागौर ने एफ.एस.एस.ए. 2006 की धारा 26 उप धारा (2)(ii) का उल्लंघन किया है, जो कि एफ.एस.एस.ए.2006 की धारा 52 के तहत जुर्माना योग्य अपराध होने से अप्रार्थी को जुर्माने से दण्डित किए जाने हेतु निवेदन किया गया।

2. खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा यह परिवाद दिनांक 04-02-2021 को इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है, जो दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से जवाब दिनांक 25.03.2021 को पेश किया गया। अप्रार्थी ने अपने जवाब में बताया कि जांच के दौरान सीलबंद खाद्य तेल की जांच की गयी थी। जिसको मिसब्रान्ड बताया गया है। सुरक्षा अधिनियम मानक अधिनियम 2006 के तहत मिसब्रान्ड बताया गया था। हम छोटे श्रेणी के दुकानदार है। नियम कानून की जानकारी नही होने के कारण उक्त गलती हो गयी थी। उक्त तेल सील बंद ही था। हमारा निवेदन है कि आप हमारी सुनवायी करावे और कम से कम जुर्माना लगाने का आदेश करावे और मेरा निवेदन है कि भविष्य मे ऐसी गलती नही होगी और नियम कानून की पालना करता रहूँगा। किसी प्रकार की शिकायत का मौका नही दूँगा।

3. पत्रावली पर उपल्बध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। उपरोक्त वर्णित तथ्यों एवं पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात एवं खाद्य विश्लेषक से प्राप्त जांच रिपोर्ट संख्या एलएस 391/एक्ट/2020/177 दिनांक 31.10.2020 के अनुसार खाद्य पदार्थ रिफा. सोयाबीन तेल (4 Tuner ब्राण्ड) का नमूना मिसब्रान्डेड पाया गया है। अप्रार्थी द्वारा भी अपने जवाब में अपना जुर्म स्वीकार स्वीकार किया है। अतः अप्रार्थी को दोषी करार दिया जाता है। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा खाद्य एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (ii) का उल्लंधन करने एवं अपराध कारित करने के फलस्वरूप उक्त अधिनियम की धारा 52 के अन्तर्गत अप्रार्थी राजाराम शर्मा पुत्र भंवरलाल जाति ब्राह्मण निवासी म.नं. 164/क हनुमान चौक, जायल जिला नागौर पर रूपये 30,000/— अक्षरे तीस हजार रूपये शास्ति आरोपित की जाती है। आदेश की प्रति संबंधित खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं संबंधित अप्रार्थी को भिजवाने हेतु अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर को भेजी जावे। अप्रार्थी से उपरोक्त शास्ति राशि वसूल कर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर के कार्यालय में ट्रेजरी चालान के माध्यम से निर्णय तिथि के एक माह के अन्दर जमा करवाई जाकर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। यदि अप्रार्थीगण निर्धारित समयावधि में शास्ति राशि जमा करवाने में असफल रहते है तो अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर इस संबंध में बनाए गए नियमों के अंतगर्त वसूली की कार्यवाही भी सुनिश्चित करेंगे।

4. आदेश लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मनोज कुमार)
अति. जिला मजिस्ट्रेट, नागौर

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
नागौर (राजस्थान)